



सं.रा/558/5/तकनीकी संगोष्ठी

कार्यालय,  
महाप्रबंधक(राजभाषा)  
पूर्वोत्तर रेलवे, गोरखपुर  
दिनांक 11.08.2014

**- सभी प्रमुख विभागाध्यक्ष**

- (वरि.उप महाप्रबंधक, मुसुआ, विसमुलेधि, भनिक, मुख्य विद्युत इंजीनियर, मुवाप्र, मुपरिप्र, मुसिदूइं, प्रमुइं, मुचिनि, मुयांइं, मुकाधि, मुसंधि एवं मु.प्रशा.अधि./निर्माण संगठन).
- मंडल रेल प्रबंधक(राजभाषा), पूर्वोत्तर रेलवे, इज्जतनगर, लखनऊ एवं वाराणसी
  - मुख्य कारखाना प्रबंधक, यांत्रिक कारखाना, गोरखपुर एवं इज्जतनगर
  - मुख्य कारखाना प्रबंधक, पुल एवं सिगनल कारखाना, पूर्वोत्तर रेलवे, गोरखपुर
  - अध्यक्ष, रेलवे भर्ती बोर्ड, गोरखपुर
  - उप मुख्य इंजीनियर/गोरखपुर क्षेत्र, पूर्वोत्तर रेलवे, गोरखपुर
  - उप मुख्य विद्युत इंजीनियर/कॉलोनी, पूर्वोत्तर रेलवे, गोरखपुर
  - प्रधानाचार्य, सिगनल एवं दूरसंचार इंजीनियर, प्रधानाचार्य, पर्यवेक्षक प्रशिक्षण केन्द्र, विद्युत प्रशि.केन्द्र एवं रेसुब प्रशिक्षण केन्द्र, पूर्वोत्तर रेलवे, गोरखपुर
  - चिकित्सा निदेशक, ललित नारायण मिश्र, रेलवे चिकित्सालय, पूर्वोत्तर रेलवे, गोरखपुर
  - वरिष्ठ प्रबंधक, मुद्रण एवं लेखन सामग्री, पूर्वोत्तर रेलवे, गोरखपुर
  - उप भंडार नियंत्रक, भंडार डिपो, पूर्वोत्तर रेलवे, गोरखपुर एवं इज्जतनगर
  - वरिष्ठ प्रबंधक, क्षेत्रीय आई.टी. केन्द्र, पूर्वोत्तर रेलवे, गोरखपुर, इज्जतनगर, लखनऊ एवं वाराणसी
  - मुख्य जनसंपर्क अधिकारी, पूर्वोत्तर रेलवे, गोरखपुर
  - अपर निबंधक, रेल दावा अधिकरण, पूर्वोत्तर रेलवे, गोरखपुर एवं लखनऊ

**विषय: तिमाहीवार राजभाषा संगोष्ठी के आयोजन हेतु विषय.**

**संदर्भ- रेलवे बोर्ड का दिनांक 20.06.2014 का पत्रांक हिंदी-2012/प्रशि.-8/4.**

उपर्युक्त विषय पर कृपया रेलवे बोर्ड के संदर्भित पत्र के माध्यम से प्राप्त भारत सरकार, गृह मंत्रालय (राजभाषा विभाग), नई दिल्ली द्वारा जारी दिनांक 15.05.2014 के कार्यालय ज्ञापन सं.12019/82/2014/रा.भा. (का.-2)(263) की प्रतिलिपि सूचना व आवश्यक कार्रवाई हेतु संलग्न है.

निर्देशानुसार विभागों/मंडलों/कारखानों द्वारा प्रति तिमाही निर्धारित 03 विषयों में से दो विषयों पर अनिवार्य रूप से संगोष्ठी आयोजित की जाए. इन दो विषयों के अतिरिक्त अन्य विषय भी सम्मिलित किए जा सकते हैं.

अनुरोध है कि तदनुसार अपने विभाग/मंडल/कारखाने में संगोष्ठी का आयोजन करें तथा अपने अधीनस्थ कार्यालयों को भी इसके लिए प्रेरित करें.

**संलग्नक: यथोक्त.**

( वी. डुंगडुंग )

वरिष्ठ राजभाषा अधिकारी  
कृते महाप्रबंधक (राजभाषा)

55

भारत सरकार GOVERNMENT OF INDIA  
रेल मंत्रालय MINISTRY OF RAILWAYS  
(रेलवे बोर्ड RAILWAY BOARD)

सं.हिंदी-2012/प्रशि.-8/4

नई दिल्ली, दिनांक 20.06.2014

पुनरी  
20  
NE Pij.

**महाप्रबंधक (राजभाषा),**

सभी क्षेत्रीय रेलें तथा उत्पादन कारखाने  
मेट्रो रेलवे, कोलकाता  
केंद्रीय रेल विद्युतीकरण संगठन, इलाहाबाद  
पूर्वोत्तर सीमा रेलवे (निर्माण), गुवाहाटी

**महानिदेशक,**

अ.अ.मा.सं., लखनऊ  
भारतीय रेल राष्ट्रीय अकादमी, वडोदरा

**निदेशक,**

ज.जी.राम रेल सुरक्षा बल अकादमी, लखनऊ  
इरिसेन, पुणे  
इरिसेट, सिकंदराबाद  
इरिएन, नासिक रोड  
इरिमी, जमालपुर

9

**प्रबंध निदेशक,**

राइट्स, इरकॉन, क्रिस, कॉनकोर,  
आईआरएफसी, कॉकण रेलवे, रेलटेल,  
आई आर सी टी सी, नई दिल्ली  
रेल विकास निगम लि., नई दिल्ली  
आई आर पी एम यू, नई दिल्ली  
डेडीकेटड फ्रेट कॉरीडोर, नई दिल्ली  
इरिटिम, लखनऊ

**प्रधान सचिव,**

भारतीय रेल सम्मेलन, नई दिल्ली

**मुख्य प्रशासनिक अधिकारी,**

कॉफमो, नई दिल्ली

विषय : तिमाहीवार राजभाषा संगोष्ठी के आयोजन हेतु विषय.

उपर्युक्त विषय पर कृपया भारत सरकार, गृह मंत्रालय (राजभाषा विभाग), नई दिल्ली द्वारा जारी दिनांक 15.05.2014 के कार्यालय ज्ञापन सं. 12019/82/2014/रा.भा. (का-2) (263) की प्रतिलिपि सूचना एवं आवश्यक कार्यवाई हेतु संलग्न है.

संलग्नक : 3

संलग्नक : 3

जुकी सपना कोरे

20/6/14

21/6/14

27/6/14

जुमी

D:\My Documents\Letter 2013\Mangal.doc

(रिसाल सिंह)

उप निदेशक, राजभाषा

सं. 12019/82/2014/रा.भा(का-2)

गृह मंत्रालय  
राजभाषा विभाग

\*\*\*

एनडीसीसी-1। भवन, बी विंग चौथा तल,  
जय सिंह रोड, नई दिल्ली, दिनांक:-27 मई, 2014


कार्यालय ज्ञापन

विषय:- तिमाहीवार राजभाषा संगोष्ठी के आयोजन हेतु विषय ।

सचिव राजभाषा विभाग द्वारा लिए गए निर्णयानुसार सभी मंत्रालय/विभाग द्वारा हर तिमाही में हिंदी संगोष्ठी का आयोजन किया जाएगा जिसके लिए विषय निम्नानुसार है ।

वित्तीय वर्ष 2014-15 की प्रथम तिमाही के लिए विषय	राजभाषा हिंदी और उसका कार्यान्वयन सरकारी नीतियों के कार्यान्वयन में हिंदी का महत्व हिंदी में वैज्ञानिक तकनीकी लेखन और राजभाषा का स्वरूप
द्वितीय तिमाही के लिए विषय	हिंदी और आई.टी. अनुप्रयोग राष्ट्रभाषा स्वरूप, चुनौतियां और संभावनाएं राजभाषा हिंदी के प्रचार एवं प्रसार की व्यवहारिक समस्या
तृतीय तिमाही के लिए विषय	विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी प्रसार में हिंदी की भूमिका हिंदी कार्यशालाएं कितनी सार्थक हिंदी और हिंदीतर भाषाओं में पुल निर्माण के संदर्भ
चतुर्थ तिमाही के लिए विषय	सरकारी कामकाज में सरल एवं सहज हिंदी सामाजिक मीडिया में हिंदी के प्रयोग की संभावनाएं हिंदी शिक्षण दशा और दिशा

निदेश दिया जाता है कि सभी मंत्रालय/विभाग इन तीन विषयों में से दो विषय अनिवार्य रूप से अपने मंत्रालय/विभाग के तिमाही आयोजन में शामिल कराएं । इन दो विषयों के अतिरिक्त मंत्रालय/विभाग अन्य विषय भी सम्मिलित कर सकते हैं ।

  
(हरिन्द्र कुमार)  
निदेशक (का.)

दूरभाष नं.- 23438129

प्रति:-

1. सभी मंत्रालय/विभाग के निदेशक/उप निदेशक (राजभाषा) के ध्यानार्थ
2. वरिष्ठ तकनीकी निदेशक (एन.आई.सी.), को राजभाषा विभाग के वेबसाइट में डालने हेतु

प्रतिलिपि सूचनार्थ:-

1. सचिव (रा.भा.) के प्रधान निजी सचिव
2. संयुक्त सचिव (रा.भा.) के निजी सचिव